संख्या: 25मू0क्रय/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 10 अक्टूबर, 2007

विषय:– मै0 कोटेक हैल्थ केयर प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की के ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम में कुल 0.1738 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–987/भूमि व्यवस्था–भू0क्र0 दिनांक 23 अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 कोटेक हैल्थ केयर प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम में श्री इशमसिंह, दीपचन्द पुत्रगण फूलसिंह व श्रीमती फुल्लो विधवा फूल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम की खाता सं0 596/1म, रकबई 0.0125 है0 व 598म0 रकबई 0.5087 है0 कुल रकबा 0.5212 है0 में से अपना कुल 1/3 भाग अर्थात कुल 0.1738 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

.................2

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-2005 के अन्तर्गत GIDCR-2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन तथा इकाई का निर्माण कार्य सीडा से लेआउट स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रवलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

.....3

9– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– प्रस्तावित इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का उपयोग मात्र Beta-Lectum highly hyginee pharma product की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। इकाई को स्वयं के संसाधनों से अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना होगा।

11– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्थाट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

12– इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व ड्रग कण्ट्रोलर से ड्रग लाईसेन्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय की व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

14– उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

......4

2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, निदेशक, कोटेक हैल्थ केयर प्रा0लि0 ई-10 साउथ साइड, जीटी रोड इन्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।